न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 05/2018 राजस्व वाद

अनवान

1. श्रीमति घीसी बाई पत्नि उम्मेद खां कायमखानी उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

— (वादीया)

बनाम

1. श्री घीसु पिता मांगु कहार भोई उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. श्री रामपाल पिता मांगु कहार भोई उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
3. श्रीमति बाली पत्नि मांगु कहार भोई उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
4. कमला पुत्री मांगु कहार भोई उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
5. गांधी पुत्री मांगु कहार भोई उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
6. कालु पिता देवा कहार भोई उम्र वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
7. राज राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री अरूण चन्द्र देराश्री ....वादीया अधिवक्ता
2. पेरोकार सरकार......... विपक्षी क्रम 07

दिनांक– 17.07.2018

आज दिनांक 17.07.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादीया का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 88 ,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अन्तिम डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बनेडा पटवार क्षैत्र बनेडा तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 216 स्थित आराजी संख्या 2950, 2951, 2952, 2953, 2954/2, 2955, 2956 किता 7 कुल रकबा 08–19 बीघा भूमि में वादीया को 1/3 हक हिस्से अनुसार खरीदशुदा आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, वादीया की खरीदशुदा आराजीयात नम्बरान 2950, 2951, 2952, 2956 में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजित हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। इस अनुसार शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीया हक हिस्सा प्रथक करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 से 07 शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–

1 घीसीबाई पत्नि उम्मेद खां कायमखानी निवासी बनेडा जिला भीलवाडा (वादीया)

आ0न0	रकबा	किस्म
2956/1	01-12	पे.ता.
2950/1	00-06	पे.ता.
2951/1	00-03	पे.ता.
2952/1	00-19	पे.ता.
कुल 04	रकबा 03–00 बीघा	—

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

2 घीसु रामलाल पिता मांगु, कमला गांधी पुत्री मांगु, बाली बैवा मांगु, नाना पिता दुर्गा कहार (मृतका) भोई सा. बनेडा जिला भीलवाडा (प्रतिवादीगण)–

आ0न0	रकबा	किस्म
2956	00-15	पे.ता.
2950	00-06	पे.ता.
2951	00-03	पे.ता.
2952	00-09	पे.ता.
2953	00-03	गै.मु.चाह
2954/2	02-10	पै.ता
2955	01-13	पै.ता
कुल 07	रकबा 05–19 बीघा	17.79

उपरोक्तानुसार भूमि में वादीया व प्रतिवादी क्रम 01 से 06 के मध्य क्रम संख्या 1 व 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 06 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 17.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)